समक्ष अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक----/2013

विविध 2287-I/13

1– वेटसी जेकव आयु वयस्क
पुत्री स्व0 श्री जेकवजा्न

2– जुविन जैकब आयु वयस्क
आ0 स्व0 श्री जेकबजान

3– जैकब जान पुत्र श्री एम0पी0 जौहन (मृत)
द्वारा वारिसान श्रीमती ग्रेसी जैकब
पत्नी स्व0 श्री जैकबजौहन

4– नैनसी जैकब (नानवी जैकब) आयु वयस्क
पुत्री स्व0 श्री जैकबजान

5– ग्रेसी जेकव आयु वयस्क
पत्नी स्व0 श्री जेकवजान

दिनांक 13.6.13 को श्री संदीप ... अभि० द्वारा ...
13.6.13
A.S.O

सभी निवासीगण C/O ई0एम0 सेमुअल
91, स्नेह नगर, होशंगाबाद रोड
पोस्ट ऑफिस मिसरोद, भोपाल–462047 ------आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0 प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर रायसेन
(श्री एस0के0 जैन)
कलेक्टेड कार्यालय, रायसेन

2– सक्षम प्राधिकारी, श्री
(अनुविभागीय अधिकारी–राजस्व)
रायसेन म0प्र0

3– श्री दीपक पाण्डे,
तहसीलदार, तह0 कार्यालय,
रायसेन म0प्र0 --अनावेदकगण

-- प्रार्थनापत्र वास्ते माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 4 मई 2012 के उल्लंघन बाबत (Contempt of Court) धारा 12 न्यायालय अवज्ञा अधिनियम--

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 2287–I/13 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–2–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 12 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण कमांक 206–दो/03 में पारित आदेश दिनांक 4–5–12 का पालन कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी एवं श्री दीपक पाण्डे, तहसीलदार द्वारा नहीं किए जाने के कारण इस न्यायालय के आदेश की अवमानना होने से उन्हें दंडित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–5–12 को आदेश पारित किया गया है, और लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इस न्यायालय के आदेश का पालन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में शासन का हित निहित किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किए जाने का आधार लिया जा रहा है, जबकि आज तक इतना अधिक लम्बा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी माननीय उच्च न्यायालय में न तो अपील प्रस्तुत की गई है, और न ही माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व मण्डल राजस्व का सबसे बड़ा न्यायालय है, और इस न्यायालय के आदेश का पालन अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा नहीं	

किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के आदेश के अवमानना के कारण उन्हें दंडित किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उनके विरूद्ध सिविल न्यायालयीन अवमानना क प्रकरण बनता है, अतः न्यायालयीन अवमानना मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय को रिफरेंस किया जाये । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करना न्यायालयीन अवमानना की श्रेणी में आता है, और अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालयीन अवमानना किए जाने के कारण दंड निर्धारित किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने से उन्हें न्यायालयीन अवमानना के लिए दंडित किया जाना आवश्यक है । तर्कों के समर्थन में 1983 CRI. L.J. 477, AIR (39) 1952 इलाहाबाद 56, 1989 CRI. L.J. 2065, 1962 RN 664 एवं 2013 (III) MPWN 90 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

2/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 4–5–12 को पारित किया गया है, उसमें शासन द्वारा कलेक्टर पक्षकार है, तहसीलदार पक्षकार नहीं है इसलिए तहसीलदार की कार्यवाही न्यायालयीन अवमानना की श्रेणी में नहीं आती है । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु शासन को विभिन्न स्तर से गुजरना पड़ता है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा लगभग 2 वर्ष तक इस न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करने के आधार पर न्यायालयीन अवमानना की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह

भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीलिंग प्रकरण में कलेक्टर प्रतिनिधि होता है, और आवेदकगण को कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा दोषी मंशा से कार्यवाही नहीं की जा रही है, इस कारण भी उनके विरूद्ध न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण नहीं बनता है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का नाम दर्ज कर दिया गया तब भूमि खुर्द–बुर्द होने की पूरी संभावना है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनके तथ्य इस न्यायालय के प्रकरण के तथ्य से भिन्न है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश भूमियों पर लागू होता है, पक्षकार पर नहीं । इस आधार पर कहा गया कि यदि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का नाम दर्ज कर दिया गया तब भी भूमि अपने स्थान पर ही स्थित रहेगी, और यदि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है तो, वह तत्समय भी प्रश्नाधीन भूमियों पर लागू होगा ।

3/ इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4–5–12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन सहित अन्य पक्षकार प्रत्यर्थीगण के रूप में संयोजित किए गए है, तहसीलदार श्री दीपक पाण्डे प्रकरण में पक्षकार नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन श्री एस.के. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायसेन एवं श्री दीपक पाण्डे, तहसीलदार, रायसेन के विरूद्ध न्यायालयीन अवमानना का आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया है, किसी अधीनस्थ विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का उल्लेख नहीं है कि किस अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है । अतः यह निर्धारण करना संभव नहीं है कि श्री दीपक पाण्डे, तहसीलदार द्वारा ही इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है । इस संबंध में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में बल है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार पक्षकार नहीं थे, इसलिए उनके विरूद्ध न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण नहीं बनता है । इस न्यायालय के आदेश में इस आशय का आदेश दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 31–7–97 द्वारा अतिशेष घोषित की गई भूमि में से आवेदकगण द्वारा क्रय की गई भूमि कम करने के आदेश दिये जाते हैं, और इस सीमा तक सक्षम प्राधिकारी का आदेश संशोधित किया जाता है । यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदकगण के नाम पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जायें, परन्तु स्पष्ट तौर से निर्देश नहीं दिये गये हैं कि किस अधीनस्थ न्यायालय के किस पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदकगण का नाम पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाना है, इस कारण भी तहसीलदार के विरूद्ध इस न्यायालय की अवमानना प्रमाणित नहीं होती है । यहां यह विचारणीय बिन्दु यह है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि लगभग 2 वर्ष तक इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने से इस न्यायालय के आदेश की अवमानना हुई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4–5–12 के पालन में

कार्यवाही हेतु आवेदकगण की ओर से दिनांक 7–3–13 को लगभग 10 माह पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और मात्र 3 माह पश्चात ही इस न्यायालय में अवमानना का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । अतः इतनी अल्प अवधि में इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने से इस न्यायालय की अवमानना होना ठहराया जाना विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही से यह स्पष्टतः परिलक्षित नहीं होता है कि तहसीलदार द्वारा जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा इस आधार इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि में शासन हित निहित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में न तो अपील प्रस्तुत की गई है, और न ही स्थगन प्राप्त किया गया है, क्योंकि तहसीलदार के प्रकरण से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किए जाने के संबंध में निरंतर कार्यवाही की जा रही है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं उनके तथ्य इस प्रकरण से पूर्णतः भिन्न हैं, इसलिए उनके आधार पर आवेदकगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है । दर्शित परिस्थितियों में न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष